महत्वपूर्ण/मा0 मंत्री जी के आदेश

संख्याः 469 /अड़तीस–5–2017–6सम/2017

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 12 मई, 2017

विषयः– मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 2017–18 में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन / रिबोरिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2017–18 में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन/रिबोरिंग की स्वीकृति विषयक शा0 सं0–325/38–5–17–5 बजट/2016(1)टी0सी0 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड के 06 जनपदों में कुल 1174 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं 4815 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग हेतु कुल रू0 4053.47 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1174 नये इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं 4815 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग हेतु स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार स्थलों का परीक्षण कराकर सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोरिंग की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मई, 2017 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने का कष्ट करें। तद्नुसार लगाये गये समस्त नये हैण्डपम्पों एवं रिबोर किये गये हैण्डपम्पों के कार्यो के पूर्ण होने पर क्षेत्र के सम्बन्धित जन–प्रतिनिधियों से कार्य पूर्ण होने का सत्यापन करा लिया जाय एवं सत्यापन रिपोर्ट से शासन को भी अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/अड़तीस–5–2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।**
2. **निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।**
3. **आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/ झांसी मण्डल, झांसी।**
4. **जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी–झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर।**
5. **अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।**
6. **मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।**
7. **प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।**
8. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

D:\2017\SO\GO-2017.docx